रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032023-244343 CG-DL-E-13032023-244343

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1144] No. 1144] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/फाल्गुन 22, 1944 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रलाय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023.

का.आ. 1191(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 अप्रैल, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध, अर्थात्,—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 तक और धारा 45क से धारा 45ज तक;
- (ii) अध्याय **5** की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अध्याय **6** की धारा **74**, धारा **75**, धारा **76** की उपधारा **(2)** से उपधारा **(4)** तक, धारा **80**, धारा **82** और धारा **83**

गुजराज राज्य के गांधीनगर जिले के सभी क्षेत्रों में, उक्त जिले के पहले से अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त, प्रवृत होंगे।

[सं.एस-38013 / 05 / 2023-एसएस-I]

आलोक चंद्रा, ज्येष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार

1663 GI/2023 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2023

S.O. 1191(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—

- (i) sections 38 to 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Gandhinagar district, in addition to the already notified areas of the said district, in the State of Gujarat.

[No. S-38013/05/2023-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser